

इसे वेबसाइट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 441] भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 नवम्बर 2021—कार्तिक 19, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2021

क्र. एफ ए-3-35-2017-1-पांच-(76).—मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-35-2017-1-पांच (63), भोपाल, दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 86 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“86. 1209 बीज, फल और बीजाणु, बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के स्पष्टीकरण : इस प्रविष्टि में बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए बीज शामिल नहीं है।”;

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2021

क्र. एफ-ए-3-35-2017-1-पांच-(76).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-35-2017-1-पांच (76), दिनांक 10 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 10<sup>th</sup> November 2021

No. F A-3-35-2017-1-V (76).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F A-3-35-2017-1-Five (63), dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for S. No. 86 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries thereto shall be substituted, namely:—

“86. 1209 Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing  
**Explanation :** This entry does not cover seeds meant for any use other than sowing.”;

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.